(50)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता- बी

संख्याःएस.जे.ई.बी–सी (1) 2/2010 दिनांक शिमला-171002, 29 जून, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, सामाजिक सुरक्षा पैंशन नियम, 1997, जिसे अधिसूचना संख्याः कल्याण –ए (3)–1/88–1, दिनांक 7 मई, 1997 द्वारा अधिसूचित किया गया था तथा इन नियमों में उसके उपरान्त समय–समय पर किए गए संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, नए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम निम्न प्रकार से अधिसूचित करने के सहर्ष आदेश देते हैं:–

1. व्याख्या:–

यह नियम हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम 2010 कहलाएगें। यह नियम सारे हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू माने जाएगें।

2. उद्देश्य:–

इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत उन वृद्धों, अक्षम व्यक्तियों, विधवाओं ,परित्यक्त महिलाओं, एकल नारियों तथा कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता देना है, जिनके पालन पोषण एवं देख–रेख का कोई उचित साधन न हो।

3. परिभाषाएं:–

(1) "परिवार" से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्टर में अलग भी दर्शाए गए हों, परिवार की परिधि में आएंगे।

(2) "वृद्ध व्यक्ति" जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक हों ।

(3) "अपंग व्यक्ति" "व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं है " (समान अवसर,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 में अपंगता की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हों।

(4) "विधवा" जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा पुर्नविवाह नही किया हों।

(5) "परित्यक्ता" जिनके पति ने तलाक दे दिया हो।

(6) "एकल नारी" (45 वर्ष से अधिक आयु की महिला), जिनके पति गत सात वर्ष से लापता हों अथवा जो अविवाहित हो अथवा जो अपने पति से अलग रह रही हों अथवा जो वर्तमान में अपने माता पिता के साथ रह रही हों।

–2–

(7) "**कुष्ठ रोगी**" जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कुष्ठ रोग हेतु उपचाराधीन हो।

(8) "**वृद्धावस्था पैंशन**" वृद्धों को दी जाने वाली पैंशन **वृद्धावस्था पैंशन** कहलाएगी।

(9) " **अपंग राहत भत्ता**" अपंग व्यक्तियों को दिये जाने वाला भत्ता **अपंग राहत भत्ता** कहलाएगा।

(10) "**विधवा/परित्यक्ता /एकल नारी पैंशन**" विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी को दी जाने वाली पैंशन, **विधवा/परित्यक्ता /एकल नारी पैंशन** कहलाएगी।

(11) "**कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता** " कुष्ठ रोगी को दिये जाने वाला पुर्नवास भत्ता "**कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता**" कहलाएगा।

4. पात्रता:—

इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित वृद्ध, अपंग व्यक्ति, विधवा ,परित्यक्त महिला, एकल नारी तथा कुष्ठ रोगी **जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी है,** सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) प्राप्त करने के पात्र होगें:—

(1) **वृद्धावस्था पैंशन**:—

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है तथा उनकी देख -रेख / पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 9000/—रू0 से अधिक न हों।

अथवा

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 15000/—रू0 से अधिक न हों।

(2) अपंग राहत भत्ता :—

(क) ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें "व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं है " (समान अवसर,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 में अपंगता की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा जिनके कोई भी बच्चे व्यस्क बच्चे न हो की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 9000/—रू0 से अधिक न हों।

अथवा

ऐसे अपंग व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 15000/- रू0 से अधिक न हों।

(ख) ऐसे अपंग अव्यस्क बच्चे जिन्हें "व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं है" (समान अवसर,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 में अपंगता की परिभाषा

के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या मानसिक रूप से अविकसित या पागल हो तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो व जिनके पालन--पोषण का कोई साधन न हो तथा जिनके माता–पिता /अभिभावक *(यदि माता–पिता जीवित नहीं है)* की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 9000/- रू0 से अधिक न हो। मानसिक रूप से अविकसित या पागल व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता उनके माता–पिता/ अभिभावकों के माध्यम से दिया जाएगा।

(ग) अपंग व्यक्तियों के लिए कोई भी आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(3) विधवा/ परित्यक्त महिला/एकल नारी पैंशन :–

ऐसी महिला जो विधवा,परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख--रेख /पालन पोषण का उचित साधन न हो तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 9000/-रू0 से अधिक न हों।

अथवा

ऐसी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी जिनके परिवार की वार्षिक आय 15000/- रू0 से अधिक न हों।

(4) कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता

ऐसे कुष्ठ रोगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपचाराधीन हो। कुष्ठ रोगियों पर कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं होगी।

5. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चयनित बी0 पी0 एल0 परिवारों के प्रार्थियों के प्रार्थना पत्रों को उपरोक्त नियमानुसार पात्र होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।

6. अपात्रता:--

(1) किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से पैंशन/भत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्ति पैंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होगें।

(2) भिखारी पैंशन पाने के पात्र नहीं होगें।

(3) ऐसे अपराधी जिनके आपराधिक मामले पुलिस में दर्ज होंगे या जिनके मामले न्यायालय में चल रहे होंगे, पैंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होगे।

(4) कुष्ठ रोगी जो सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डो इत्यादि में कार्यरत हों, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता के लिए पात्र नहीं होगें।

7. पैंशन / भत्ता की दरें:

वृद्धावस्था पैशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता/कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता 330/--रू0 प्रति माह देय होगी/होगा या जो समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

8. वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन , अपंग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया:--

(1) पैंशन/भत्ता प्राप्त करने के लिए इच्छुक वृद्ध/विधवा/परित्यक्ता महिला/एकल नारी /अपंग एवं कुष्ठ रोगी को पैंशन/भत्ता हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र--1 पर सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय/तहसील कल्याण अधिकारी/ जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शिमला, सम्बन्धित उपायुक्त/जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों तथा सम्बन्धित पंचायतों/शहरी निकाय/ आंगनवाड़ी केन्द्रों मे निःशुल्क उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र विभागीय वैबसाईड www.himachal. nic.in/welfare पर भी उपलब्ध होगें।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित पंचायत का दायित्व होगा कि प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक मे नियम 4 अनुसार पात्र व्यक्तियों की पहचान करे तथा पंचायत में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार कर के पात्र व्यक्तियों की सूची निम्न प्रपत्र पर अनुमोदित कर के प्रस्ताव प्रार्थना पत्रों सहित, सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारियों को भेजेंगे। शहरी क्षेत्रों मे सम्बन्धित शहरी निकाय पात्र व्यक्तियों की सूची भी निम्न प्रपत्र पर भेजेंगे:-

पैंशन की श्रेणी	क्र0 सं0	पहचान किए गए पात्र व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	पहचान किए गए पात्र व्यक्ति की रिकार्ड अनुसार जन्म तिथि	पहचान किए गए पात्र व्यक्ति की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित की गई वार्षिक आय	पहचान किए गए पात्र व्यक्ति के परिवार की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित की गई वार्षिक आय	पात्र व्यक्ति की बी0पी0एल0 परिवार संख्या

(3) यदि कोई प्रार्थना पत्र तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय मे सीधे प्राप्त हो तो वह उन्हे सम्बन्धित पंचायत को ग्राम सभा के अनुमोदनार्थ भेजेगें ।

(4) सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ग्राम सभाओं / शहरी निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव में अनुमोदित पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र एक माह में अपने स्तर पर पूर्ण करवायें तथा अपनी सत्यापन रिपोर्ट सहित प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी को भेजेंगे।

(5) वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता /एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता तथा कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता के मामले में प्रार्थना--पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक होगें:-

(क) वृद्धावस्था पैंशन मामले में पंचायत /शहरी निकाय से जारी जन्म तिथि प्रमाण—पत्र ।

(ख) विधवा नारी को सम्बन्धित पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण—पत्र।

(ग) परित्यक्ता/ एकल नारी के मामले में तीन रूपये की स्टाम्प कागज पर शपथ पत्र सम्बन्धित दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित हो। तलाकशुदा महिलाओं को तलाकनामा की सत्यापित प्रति।

(घ) अपंग व्यक्ति के मामलें में स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र जो जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड से जारी हो, की सत्यापित प्रति।

(ङ) कुष्ठ रोगी के मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारी से कुष्ठ रोगी प्रमाण पत्र तथा यह शपथ पत्र कि वह किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/ निगमों/बोर्डो इत्यादि में कार्यरत नहीं हैं।

(6) सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी ग्राम सभाओं/शहरी निकायों द्वारा पहचान किये गये पात्र व्यक्तियों के पूर्ण प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय में श्रेणीवार एक रजिस्टर **निर्धारित प्रपत्र--2** पर प्राप्ति तिथि अनुसार दर्ज करेगें तथा प्रार्थना--पत्र के उपर दांयी ओर रजिस्टर का कमांक तथा प्राप्ति की तिथि अंकित कर प्रस्ताव पूर्ण मामलों सहित जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रति सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय को भी भेजेंगे।

(7) सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विशलेषण जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय मे सम्बन्धित सहायक/अधीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करेगें कि प्रार्थना पत्रों में नियमानुसार सभी औपचारिकताऐं पूर्ण हैं। अधूरे प्रार्थना--पत्रों को सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को 15 दिन के भीतर वापिस भेजेंगे तथा इसी अवधि के भीतर पूर्ण प्रार्थना पत्रों को नस्ति पर जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेगें जो इन प्रार्थना--पत्रों की स्वयं जांच करके पूर्ण होने

की स्थिति में पैंशन सॉफटवेयर में प्रावधित प्रतीक्षा सूची में तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय की प्राप्ति तिथि अनुसार **निर्धारित प्रपत्र–3** पर श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची का रख रखाव किया जाएगा।

(8) पैंशन योजना के कार्यान्वयन जिसमें प्रार्थना–पत्रों की प्राप्ति, स्वीकृति , पैंशन का वितरण, मनीआर्डर पावतियों, व्यक्तिगत खातो का रख रखाव तथा भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों की रिपोर्ट इत्यादि का पूर्ण अभिलेख ई–कल्याण पैंशन साफटवेयर के प्रावधानों अनुसार किया जाएगा।

9. <u>पैंशन/भत्ता स्वीकृत करने की प्रकिया:–</u>

(1) <u>पैंशन/भत्ता स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी</u>

पैंशन स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी सक्षम होगे:–

(क) सम्बन्धित जिला के उपायुक्त

(ख) पांगी उप मण्डल में स्थानीय आयुक्त

(ग) भरमौर उप मण्डल में अतिरिक्त दण्डाधिकारी

(घ) स्पिति उप मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त

(ड) डोडरा क्वार उप मण्डल में उप–मण्डलाधिकारी (ना0)

(2) सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी तथा उप मण्डल पांगी/स्पिति/डोडरा क्वार में सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों/बजट अनुसार ई–कल्याण पैंशन साफटवेयर में प्रतीक्षा सूची अनुसार श्रेणीवार स्वीकृति आदेश का प्रारूप सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

(3) सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सक्षम अधिकारी को स्वीकृति आदेश का प्रारूप प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि:–

(क) सरकार द्वारा पैंशनरों/भत्ता धारकों की संख्या के निर्धारित लक्ष्य से अधिक का स्वीकृति प्रारूप किसी भी स्थिति में प्रस्तुत न किया जाये।

(ख) मृत पैंशनर/ भत्ता धारक के स्थान पर प्रतिस्थानी करने से पहले पैंशनर/ भत्ता धारक की मृत्यु की पुष्टि सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय से की गई हो ।

(ग) प्रार्थी को पैंशन/भत्ता जीवन पर्यान्त लागू रहेगा बशर्ते यदि पैंशनर की पात्रता **नियम–4** के अनुरूप बनी रहे ।

(4) स्वीकृति आदेश की प्रतियां महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, अवर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), अवर सचिव (वित्त), निर्देशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सम्बन्धित

जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(5) सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह नए/प्रतिस्थापित पैंशन मामलों को जिला कल्याण समिति की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगें।

(6) सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को स्वीकृति आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत पैंशनरों/ भत्ता धारकों के नाम व पता/खाता सख्या अपने कार्यालय में निर्धारित पैंशन प्रपत्र –2 पर पंचायत वार/शहरी निकाय वार दर्ज करेंगे तथा स्वीकृत पैंशनरों/भत्ता धारकों की सूचि सम्बन्धित पंचायतों/शहरी निकायों को इस अनुरोध सहित भेजेगें कि वे ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में पैंशनरों/ भत्ता धारकों की पात्रता का विवेचन करें तथा अपात्र पैंशनरों की पहचान कर के उनकी पैंशन/भत्ता बन्द करने का अनुमोदित प्रस्ताव के रूप में सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को भेजे। इस के अतिरिक्त ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में मृत पैंशनरों/ भत्ता धारकों की पुष्टि की जायेगी। ऐसे मृत पैंशनरों/ भत्ता धारकों को पैंशन बन्द करने का प्रस्ताव ग्राम सभा/ शहरी निकाय, सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को भेजेगी। तहसील कल्याण अधिकारी का दायित्व होगा कि प्राप्त सूची एक सप्ताह के भीतर जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(7) <u>प्रतिस्थापना स्वीकृति</u> :– मृत पैंशनरों /अपात्र पाए गए पैंशनरों के स्थान पर ई–कल्याण पैंशन साफटवेयर के प्रावधानों अनुसार प्रत्येक त्रैमाह के आरम्भ में प्रतिस्थापना स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी ताकि आबंटित लक्ष्यों को पूर्ण रखा जा सके तथा लम्बित पात्र आवेदन –पत्रों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।

10. <u>पैंशन/भत्ता का वितरण:–</u>

(1) पैशन वितरण आरम्भ करने से पूर्व मृत/अपात्र पैंशनरों के स्थान पर प्रतिस्थानी की जायेगी।

(2) जन–जातीय/दुर्गम क्षेत्रों (लाहौल,काजा,किन्नौर,पांगी, भरमौर एवं डोडराक्वार) को छोड़कर अन्य सभी जिलों में पैंशन/भत्ते का वितरण त्रैमासिक जैसे:–अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर, अक्तुबर से दिसम्बर तथा जनवरी से मार्च अग्रिम तौर पर मनिआर्डर/डाकघर अथवा बैंक में बचत खाता खुलवाकर किया जाएगा। मनीआर्डर का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) जन–जातीय/दुर्गम क्षेत्रों (लाहौल,काजा,किन्नौर,पांगी, भरमौर एवं डोडराक्वार) में पैंशन /भत्ते का वितरण छः माही जैसे:– अप्रैल से सितम्बर तथा अक्तुबर से मार्च अग्रिम तौर पर मनिआर्डर/डाकघर अथवा बैंक में बचत खाता खुलवाकर किया जाएगा। मनीआर्डर का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) मनिआर्डर द्वारा पैंशन भेजने की प्रकिया:--

(क) पैंशन/भत्ता स्वीकृत किए जाने पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी पैंशन की राशि का आहरण वास्तविक मांग अनुसार करेगें। पैंशन के भुगतान हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी आहरित राशि से पैंशनरों के मनी आर्डर /डाक घर वार सूचियां कम्पयूटर से निकाल कर जिला स्तर से मनी आर्डरों को तहसील स्तर पर डाकघरों में बिना विलम्ब के बुक करवाऐंगे।

(ख) सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी मनीआर्डर बुक करवाने उपरान्त सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को सूचियां व्यक्तिगत लैजर निर्धारित प्रपत्र–4 में इन्द्राज हेतु उपलब्ध करवाएंगे।

(ग) पैंशन अदायगी उपरांत मनीआर्डर पावतियों का इन्द्राज जिला/तहसील स्तर पर पी0एल0ए0 में किया जाएगा तथा पावतियों का रख--रखाव श्रेणीवार, अवधिवार फोल्डर खोल कर जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय मे रखा जाएगा। मनीआर्डर पावतियां दो वर्ष या जब तक आडिट न हो जाये तब तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(घ) त्रैमास के अन्त में पैंशन की अदायगी की पावतियों तथा मनीआर्डर बुकिंग की राशि का समायोजन किया जायेगा तथा जिन मामलों में पावतियां प्राप्त नहीं हुई होगी के मामले में भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित डाकघर से प्राप्त करना होगा।

(ड़) अगले त्रैमास की अग्रिम पैंशन इसी प्रकार पैंशनरों को भेजी जाएगी परन्तु पैंशन की राशि भेजने से पहले पूर्व में भेजी गई पैंशन की मनीआर्डर पावती प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश मनीआर्डर वापिस आ जाये तो पैंशनर को उस अवधि की पैंशन तहसील कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कल्याण अधिकारी द्वारा पुनः मनीआर्डर सरकार के खर्चे पर भेजा जाएगा।

(च) मृत/अन्य कारणों से जो मनीआर्डर वापिस प्राप्त हो उनका विवरण निर्धारित प्रपत्र--5 पर पैंशन श्रेणीवार रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा मनीआर्डर की राशि डाकघर से चैक द्वारा प्राप्त कर बैक खाते में जमा की जायेगी।

(छ) मृत/अपात्र व्यक्तियों के मनिआर्डरों की प्राप्त राशि अगले त्रैमास में भेजे जाने वाली पैंशन की कुल राशि में से अल्प आहरण कर समायोजित की जाएगी।

(5) बैंक/डाकघर में बचत खाता द्वारा पैंशन अदायगी की प्रकिया

(क) पैंशन/भत्ता स्वीकृत किए जाने पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी पैंशन की राशि का आहरण वास्तविक मांग अनुसार करेगें तथा जिन प्रार्थियों ने बैंक/डाकघर में बचत खाते द्वारा पैंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया हो उन मामलो में जिला कल्याण

अधिकारी ऐसे समस्त पैंशनरों की राशि सम्बन्धित बैंक/डाकघर के जिला मुख्यालय में ड्राफट/चैक द्वारा सूची, नाम, पता, खाता संख्या व बैंक/डाकघर की शाखा के नाम सहित जमा करवाऐगें।

(ख) आधुनिक तकनीक ITES (Information Technology Enabled Services) बायोमिट्रिक प्रणाली के माध्यम से भी सामाजिक सुरक्षा पैंशन का वितरण किया जा सकेगा।

(ग) जिला कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला में बचत खातो में जमा की गई/निकाली गई राशि का समय–समय पर सम्बन्धित बैंक/डाकघर के साथ समायोजन करेगें।

11. <u>पैंशन वितरण रिपोर्ट</u>

तहसील कल्याण अधिकारी पैंशन वितरण की रिपोर्ट जिला कल्याण अधिकारी को भेजेंगे जो समस्त तहसीलों की रिपोर्ट संकलित करके भौतिक/वित्तीय उपलब्धियां की त्रैमासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र–6 तथा प्रपत्र–7 पर निदेशक सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग को भेजेगें। इसी प्रकार तहसील कल्याण अधिकारी पांगी, काजा, भरमौर व डोडरा क्वार अपनी तहसीलों से सम्बन्धित पैंशन वितरण की रिपोर्ट सीधे निदेशक, सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता को भेजेंगे।

12. <u>पते में परिवर्तन:–</u>

(1) पैंशनर/भत्ता धारक का यह दायित्व होगा कि यदि उसके पते में कोई परिवर्तन हो तो उस की सूचना जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी को देंगे।

(2) हिमाचल प्रदेश से बाहर कोई भी पैंशन /भत्ता अदा नही किया जायेगा।

(3) ऐसे पैंशनर/भत्ता धारक जो छः माह से अधिक अवधि के लिए जिला/ तहसील से बाहर रहेंगे वे उस जिला से पैंशन के हकदार नहीं रहेंगे।

(4) किसी अन्य जिला में स्थाई रूप से पैंन्शनर/भत्ता धारक द्वारा पलायन करने की स्थिति में पैंशनर /भत्ता धारक को जिस जिला में वह चला गया है, उस जिला में पुनः पैंशन हेतु आवेदन करना होगा। ऐसे मामलों में भी प्राथमिकता ऐसे पैंशनरों को दी जाएगी जो असहाय होने की स्थिति में वृद्धाश्रमों/कुष्ठ पुर्नवास केन्द्रों में स्थानान्तरित हुए हों।

13. <u>पैंशन/भत्ता बन्द करने की प्रकिया</u>

(1) सम्बन्धित ग्राम सभा/शहरी निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपात्र व्यक्तियों की पहचान ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में करके अपने प्रस्ताव सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी को भेजेंगे। जिला कल्याण अधिकारी ऐसे पैंशनरों/भत्ता धारकों की पैंशन/भत्ता तत्काल प्रभाव से अस्थाई तौर पर रोक देंगे तथा सम्बन्धित पैंशनरों को इस बारे सूचित किया जाएगा।

(2) अपात्र पहचान किए गए व्यक्तियों की सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी एक माह के भीतर पुनः जाच करके रिपोर्ट जिला कल्याण अधिकारी को भेजेंगे जो नियम 9(1) में वर्णित सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अपात्र व्यक्तियों की पैंशन स्थाई तौर पर बन्द करेंगें।

(3) पैंशन बन्द करने के आदेशों की प्रतियां जिला कल्याण अधिकारी, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को भेजेगे। जिला कल्याण अधिकारी पैंशन/भत्ता बन्द करने की सूचना पत्र द्वारा सम्बन्धित पैंशनर को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर देगें तथा उस पैंशनर का व्यक्तिगत पैंशनर का खाता तुरन्त बन्द करके लम्बित प्रर्थाना पत्रों में से नियम-9 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रतिस्थानी स्वीकृति हेतु कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करेंगें।

(4) किसी भी पैंशनर/भत्ता धारक के विरूद्व यदि कोई अपात्र होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी आवश्यक छानबीन शिकायत प्राप्ति के एक माह के भीतर तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी द्वारा की जायेगी। ऐसे पैंशनर की पैंशन/भत्ता तत्काल प्रभाव से अस्थाई तौर पर रोक देगे । शिकायत के मामले में जांच रिपोर्ट टिप्पणी सहित तत्काल नियम 9(1) में वर्णित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी जो मामले में अन्तिम निर्णय लेगें तथा निर्णय अनुसार जिला कल्याण अधिकारी पैंशन बहाल/बन्द करने हेतू आगामी कार्यवाही करेगें।

14. <u>लम्बित मामलो की रिपोर्टः—</u>

जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी, काजा, पांगी, भरमौर एवं डोडराक्वार प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर प्राप्त पूर्ण एवं पात्र मामलो की संख्या की रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र-8 पर निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजेंगे।

15. <u>पैंशन की जांचः—</u>

(1) स्वीकृत पैंशनरों /भत्ता धारकों की समय-2 पर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा अपने प्रवास के दौरान जांच की जाती रहेगी कि नियम-4 के अन्तर्गत पैंशनर/भत्ता धारक की पात्रता यथा स्थिति बनी रही है। सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी अपने जिला/तहसील के कुल पैंशनरों का क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष करेगें।

(45)

(2) सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग/शहरी निकायों से निरन्तर सम्पर्क में रहेगें। यदि किसी पैंशनर की मृत्यु हो चुकी हो तो ऐसे मामलों में पैंशन/भत्ता बन्द करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(3) विधवा/परित्यकता/एकल नारी पैंशनर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की 10 तारीख से पूर्व यह प्रमाण–पत्र सम्बन्धित पंचायत से प्राप्त कर तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा कि उसने पुर्नविवाह नही किया है 1

आदेश द्वारा

प्रेम कुमार
प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांक शिमला–171002, 29 जून, 2010
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
2. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
3. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
4. वितायुक्त एवं सचिव(राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
5. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश,शिमला–171002.
6. प्रधान महालेखकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उप महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला–171003.
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को उनके पत्र संख्या 20–21/96–वेल–पैंशन दिनांक 15 मार्च 2010 के संदर्भ में।50प्रतियों सहित सम्बन्धित जिला अधिकारियों को भेजे जाने बारे। उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त नियमों को हिमाचल सरकार मुद्रणलय से छपाई करवाने के उपरान्त इसकी 25 प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें।
9. विशेष सचिव(सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्री मण्डल की मद संख्या 3 दिनांक 9.06.2010 के अन्तर्गत प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुपालन में सूचनार्थ।
10. निजी सचिव, समस्त मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश सचिवालय।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इन नियमों को राजपत्रा(आसाधारण) में प्रकाशन हेतु। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता हे कि राजपत्रा की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजने की कृपा करें।
12. गार्ड फाईल/50 अतिरिक्त प्रतियां।

अवर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रपत्र–1–नियम 8(1)

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना

प्रार्थी का पासपोर्ट साईज़ फोटोग्राफ

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन/ इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन / इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन/ वृद्धावस्था पैंशन /विकलांगता राहत भत्ता / विधवा परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन /कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता के लिये

प्रार्थना–पत्र

1 प्रार्थी का नाम :

2 जन्म तिथि :

3 जाति

4 व्यावसाय :

5 क्या बी0 पी0 एल0 परिवार से सम्बन्धित है :

6 यदि हां तो परिवार की बी0 पी0 एल0 संख्या सर्वेक्षण वर्ष सहित :

7 पिता/पति का नाम :

8 परिवार के मुखिया का नाम :

9 वर्तमान रिहायश का पता :

10 स्थाई पत्ता :

11 यदि पिता/पति जीवित नहीं है तो संरक्षक का नाम व उससे नाता :

12 परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा (पति/पत्नी/पुत्रों/पुत्रियों का विवरण दें)

क्र0 सं0	नाम	आयु	नाता	व्यवसाय	पंचायत परिवार रजिस्टर की परिवार संख्या व पृष्ठ सख्या	समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय (राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित)	राशन कार्ड संख्या	मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या	दूरभाष/ मोबाईल संख्या यदि हो

13 प्रार्थी की शिक्षा

14 क्या प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्य को किसी प्रकार की सहायता पैंशन सरकार से मिलती है ? यदि है तो उसका नाम मासिक राशि/स्त्रोत

15 सम्पत्ति की व्याख्या और उसकी कीमत :

(क) परिवार के नाम कुल भूमि :

(ख) बैंक में जमा राशि व डाकघरों के बचत खाते में जमा राशि का विवरण :

(ग) भूमि से वार्षिक आय :

(घ) अन्य साधनों से वार्षिक आय :

(ड़) कुल वार्षिक आय :

16 प्रार्थी के नाम बैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरण :

(क) बैंक/डाकघर का नाम जहां खाता है :

(ख) खाता संख्या

17 दो व्यक्तियों के नाम व पूरे पते जो प्रार्थी को भली–भांति जानते हों और प्रार्थी की वास्तविकता को बतला सकें :

1. नाम व पूरा पता

2. नाम व पूरा पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

घोषणा

मैं ——————————सपुत्र/सुपुत्री/पत्नी——————————,
ग्राम—————————— डाकघर ——————————,
तहसील——————————, जिला ——————————सत्यनिष्ठा लेकर अपने ज्ञान से अभ्युष्टि पूर्वक यह घोषणा करता हूं /करती हूं कि उक्त तथ्य मेरे प्रतिज्ञान से सही है। इनमें कोई भी तथ्य असत्य नही हैं और न ही इनमें कोई बात छुपाई गई है। मैं यह भी पुष्टि करता हूं /करती हूं कि इससे पूर्व मैं कोई पैंशन प्राप्त नही कर रहा /रही हूं।

प्रार्थी के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

नोट:–

- यदि प्रार्थी विकलांग है तो ज़िला चिकित्सा बोर्ड से जारी स्थाई प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न करें।
- यदि प्रार्थी कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो जिला कुष्ठ रोग निवारण अधिकारी से प्रमाण पत्र सलग्न करें ।
- यदि प्रार्थी विधवा/ परित्यक्ता /एकल नारी है तो पंचायत सचिव का प्रमाण–पत्र तथा तीन रूपये की अस्टाम पेपर पर शपथ पत्र सम्बन्धित दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर संलग्न करें ।

सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती..

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/वेवा--------------------------गाव/शहर--------------------

---------डाकघर--------------------पिन--------------------

तहसील------------ जिला------------हिमाचल प्रदेश का /की स्थायी निवासी है।

आगे प्रमाणित किया जाता है :-

(1) प्रार्थी की आयु पंचायत/शहरी निकाय के रिकार्ड अनुसार..................वर्ष(शब्दों .... में) है। (परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न है)

(2) प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार का सदस्य है तथा बी0पी0एल0 सख्या ....है। (बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है)

(3) प्राथी..................विकलांगता से स्थाई/अस्थाई रूप से ग्रस्त है तथा विकलांगता.........प्रतिशत जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई है। (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है)

(4) प्रार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा पुर्नविवाह नही किया है। (शपथ पत्र संलग्न है)

(5) प्रार्थी को पति ने छोड़ दिया है। (तलाकनामा/शपथपत्र की प्रति संलग्न है)

(6) प्रार्थी एकल नारी है।

(7) प्रार्थी कुष्ठ रोग से ग्रस्त है तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन है। वह किसी भी सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डो इत्यादि मे कार्यरत नही है।(प्रमाण–पत्र संलग्न है)

(8) प्रार्थी को सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या..............दिनांक................ कमांक.............. पर चयनित किया गया है ।

(9) प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आय....................रूपए (अंको में)... रूपए (शब्दो में) है। (राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है)

(10) प्रार्थी के .... परिवार की वार्षिक आय..................रूपए (अंको में) .... रूपए (शब्दों में) है।(राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है)

(11) प्रार्थी(जो अपंग तथा अव्यस्क है) के माता–पिता/अभिभावक की समस्त साधनों से वार्षिक आय....................रूपए (अंको में).. रूपए (शब्दो मे) है। (राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है)

उपरोक्त तथ्यों की जांच मैने स्वयं पंचायत रिकार्ड तथा हल्का पटवारी से की है। रिपोर्ट के दृष्टिगत प्रार्थी पैंशन/भत्ता के पात्र/अपात्र है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत/रद्द करने हेतु सिफारिश की जाती है ।

तहसील कल्याण अधिकारी।
(मोहर व तिथि सहित)

नोटः–जो लागू न हो उसे काट दिया जाए तथा वास्तविक तथ्य रिपोर्ट किए जाएं।

Ulcrar

अवर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पैंशन प्रपत्र–2–नियम 8(6)

पैंशन की श्रेणी ....

क्रमांक	प्रार्थना–पत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	जन्म तिथि	बी0पी0एल0 संख्या	ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम	ग्राम सभा/शहरी निकाय के प्रस्ताव संख्या व तिथि जिसके अन्तर्गत प्रार्थी का नाम पैशन हेतू अनुमोदित किया गया है ।	जिला कल्याण अधिकारी को स्वीकृति हेतू प्रार्थना–पत्र भेजने की तिथि	स्वीकृति संख्या /तिथि जिसके अन्तर्गत पैंशन स्वीकृत की गई ।	दिनांक जब पंचायत /शहरी निकाय को पैंशन स्वीकृति की सूचना दी गई ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

पैंशन प्रपत्र –3–नियम –8(7)

प्रतीक्षा सूची

पैंशन की श्रेणी ....

कमांक	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम तथा पिता व पति का नाम	गांव/शहर का नाम	डाकघर	पिन कोड	पंचायत/शहरी निकाय का नाम	तहसील	प्रार्थी की जन्म तिथि	बी0पी0एल0 सख्यां	प्रार्थी की वार्षिक आय	प्रार्थी के पुत्रों की वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12.

पैंशन प्रपत्र–4 –नियम 10 (4–ख)

पैंशन लैज़र

अधिकारी जिसके द्वारा पैंशन स्वीकृत की गई.................................स्वीकृति संख्या.................................दिनांक
.................पैंशन की दर.................................व्यक्तिगत खाता संख्या.................पैंशनर का नाम
.................जाति.................पिता/पति का नाम.................................ग्राम/शहर का नाम.................डाकघर
.................पिनकोड.................पंचायत/शहरी निकाय का नाम.................निर्वाचन क्षेत्र का नाम.................तहसील
.... जिला.................................

पैन्शनर के वचत खाता का विवरण :– खाता संख्या ....बैंक/डाकघर का नाम.................................

क्र0 स0	अवधि जिसकी पैंशन भेजी गई	डाकघर का नाम जहां मनीआर्डर बुक किया गया	पैंशन की कुल राशि जो बुक की गई	मनी आर्डर रसीद संख्या व दिनांक	मनीआर्डर पावती की प्राप्ति की तिथि	यदि मनीआर्डर बिना भुगतान वापिस प्राप्त हुआ है कारण सहित प्राप्ति की तिथि इत्यादि का पूर्ण विवरण/अन्य कथन	यदि डाकघर/बैंक में वचत खाता द्वारा भुगतान किया गया हो तो बैंक ड्राफ़्ट सख्या व तिथि जिसके अर्न्तगत राशि भेजी गई	आहरण एंव संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पैन्शान प्रपत्र–5–नियम 10–(4–च)

पैन्शान की श्रेणी.................................

क0 सं0	पैशनर का नाम व पता	व्यक्तिगत लैजर खाता संख्या	अवधि जिसका मनीआर्डर वापिस प्राप्त हुआ है	कुल राशि	मनीआर्डर वापिसी के कारण	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	वापिस प्राप्त राशि को रोकड़ में दर्ज करने का विवरण		बिल संख्या जिसके द्वारा वापिस प्राप्त हुई राशि की शार्ट ड्राल की गई	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
							पृष्ठ	तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8.	9.	10.	11

पैंशन प्रपत्र–6–नियम –11

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत पैंशन वितरण की रिपोर्ट (भौतिक उपलब्धियां)

रिपोर्ट की अवधिः———— से ———— तक जिला————————

क0सं0	पैंशन की किस्म	आबटित लक्ष्य	गत त्रैमाह में मृत अपात्र पैंशनर जिनकी पैंशन रोकी गई				गत त्रैमाह के मृत/अपात्र पैंशनरों के स्थान पर प्रतिस्थानी द्वारा स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या	चालू त्रैमाह में जितने पैंशनरों को पैंशन भेजी जानी है।	चालू त्रैमाह में जितने पैंशनरों को पैंशन वितरित की गई।	चालू त्रैमाह में बकाया पैंशनरों की संख्या जिन्हे पैंशन नही भेजी जा सकी।	कालम 8 में दर्शाये गए पैंशनरों को पैंशन न वितरण करने के कारण
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
			मृत	अपात्र	अन्य कारण	कुल					
1.	वृद्धावस्था पैंशन										
2.	विकलांग रा0 भ0										
3.	रा0वृ0पैंशन										
4.	विधवा/परि0 पैंशन										

जिला कल्याण अधिकारी

पैंशन प्रपत्र–7–नियम–11

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत पैंशन वितरण रिपोर्ट (वित्तीय उपलब्धियां)

रिपोर्ट की अवधिः———— से ———— तक   जिला————————

क्र0 स0	पैंशन की किस्म	चालू वित्तीय वर्ष मे आबटित बजट	चालू त्रैमाह में कुल मामलो की संख्या जिनकी राशि आहरित की गई व कुल आहरित राशि।		गत त्रैमाह की अन्तिम तिथि तक श्रेणीबार रोकड़ मे पड़ी अवितरित राशि।	शार्ट ड्रावल के माध्यम से समायोजित की गई राशि।	चालू त्रैमाह की पैशन अदायगी आरम्भ करने से पहले कुल उपलब्ध राशि	पैंशन वितरण समाप्ति पर बकाया राशि तथा पैंशनरों की सख्या जिन्हे पैंशन नही भेजी जा सकी।		बकाया राशि न वितरण के कारण
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.		9.
			मामलों की सख्या	राशि				राशि	पैंशनरों की सख्या	
1.	वृद्धावस्था पैंशन									
2.	विकलांग रा0 भ0									
3.	रा0वृ0पैंशन									
4.	विधवा/परि0 पैंशन									
5.	कु0रो0पु0 भत्ता									

जिला कल्याण अधिकारी

पैंशन प्रपत्र-8-नियम-14

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत लम्बित मामलो की रिपोर्ट

रिपोर्ट की अवधि:———— से ———— तक जिला————

क्र0 सं0	पैंशन की किस्म	गत त्रैमाह की अन्तिम तिथि को सत्यापित लम्बित पूर्ण मामलो की संख्या	चालू त्रैमाह के प्रथम माह में प्रतिस्थानी द्वारा स्वीकृत मामलो की संख्या	प्रतिस्थानी स्वीकृति संख्या / दिनांक	चालू त्रैमाह के अन्त में प्रतिस्थानी स्वीकृति उपरान्त बकाया मामलो की संख्या	चालू त्रैमाह में यदि प्रतिस्थानी स्वीकृति नहीं की गई, तो कारण।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	वृद्धावस्था पैंशन					
2.	विकलांग रा0 भ0					
3.	रा0वृ0पैंशन					
4.	विधवा/परि0 पैंशन					
5.	कु0रो0पु0 भत्ता					

जिला कल्याण अधिकारी

(55)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता--बी

संख्या:एस.जे.ई.बी--सी (1) 2/2010 दिनांक शिमला--171002, ९ नवम्बर, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की अधिसूचना संख्या:एस.जे.ई.बी--सी (1) 2/2010, दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 4 के उप नियम (1), (2) तथा (3) में निम्नलिखित संशोधन करने के सहर्ष आदेश देते हैं:--

संक्षिप्त नाम और लागू होने की तिथि

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा(पैंशन/भत्ता) (प्रथम संशोधन), नियम, 2010 हैं।

(2) यह नियम अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

नियम 4 का संशोधन

2. (1) नियम 4 के उप नियम (1) में "अथवा" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे अर्थात् --

अथवा

"ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹ 15000/-- से अधिक न हो"।

(2) नियम 4 के उप नियम (2) में "अथवा" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे अर्थात् --

अथवा

"ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹ 15000/-- से अधिक न हो"।

(3) नियम 4 के उप नियम (3) में "अथवा" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे अर्थात् –

अथवा

"ऐसी विधवा / परित्यक्त महिला / एकल नारी जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय ₹ 15000/– से अधिक न हो"।

आदेश द्वारा

सरोजनी गंजू ठाकुर
अति0 मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांक शिमला–171002, 9 नवम्बर, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
2. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
3. समस्त प्रधान सचिव / सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
4. वितायुक्त एवं सचिव(राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
5. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश,शिमला–171002.
6. प्रधान महालेखकार (लेखा परीक्षा) / वरिष्ठ उप महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला–171003.
7. समस्त मण्डलायुक्त / समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को उनके पत्र संख्या 20–21 / 86–वेल–पैंशन(IV) दिनांक 11.10.2010 के संदर्भ में। 50प्रतियों सहित सम्बन्धित जिला अधिकारियों को भेजे जाने बारे। उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त नियमों को हिमाचल सरकार मुद्रणलय से छपाई करवाने के उपरान्त इसकी 25 प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें।
9. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्री मण्डल की मद संख्या 3 दिनांक 27.10.2010 के अन्तर्गत प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुपालन में सूचनार्थ।
10. निजी सचिव, समस्त मंत्री / मुख्य संसदीय सचिव / संसदीय सचिव हि0प्र0 सचिवालय।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इन नियमों को राजपत्र(आसाधारण) में प्रकाशन हेतु। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजने की कृपा करें।
12. गार्ड फाईल / 50 अतिरिक्त प्रतियां।

Ulcrar
अवर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(56)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता–बी

संख्याःएस.जे.ई.बी–सी (1)2/2010 दिनांक शिमला–171002, 15 मार्च, 2012.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सम संख्या दिनांक 27 जून, 2010 जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 जारी किए गए थे, के नियम 8(1) के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र –1 के साथ संलग्न तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सत्यापन रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रपत्र को संशोधित संलग्न सत्यापन रिपोर्ट के प्रपत्र से सहर्ष प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

एस0के0 दाश
प्रधान सचिव (स0न्0अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ0 सं0 यथोपरि दिनांक शिमला – 171002 15 मार्च,2012.
प्रतिलिपिः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
2. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
3. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
4. वितायुक्त एवं सचिव(राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
5. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002.
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उप महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश शिमला–171003.
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को उनके पत्र संख्या 20–21/96–वेल–पैंशन दिनांक 15 फरवरी, 2012 के संदर्भ में 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. निजी सचिव, समस्त मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला – 171002.
10. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को राजपत्र(आसाधारण) में प्रकाशन हेतु।
11. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियॉं 25.

उप सचिव (स0 न्याय एवं अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(57)

सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती.. .... सुपुत्र/सुपुत्री /पत्नी/वेवा.......................................गाव/शहर.......... ....डाक घर ....पिन.................तहसील...............जिला.................. हिमाचल प्रदेश का /की स्थायी निवासी है।

आगे प्रमाणित किया जाता है :–

(1) प्रार्थी की आयु पंचायत/शहरी निकाय के रिकार्ड अनुसार .... वर्ष(शब्दों............................... में) है।

(2) प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार का सदस्य है तथा बी0पी0एल0 संख्या ....है।

(3) प्रार्थी..................विकलांगता से स्थाई/अस्थाई रूप से ग्रस्त है तथा विकलांगता..............प्रतिशत जिला चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा प्राधिकार द्वारा प्रमाणित की गई है। (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है)

(4) प्रार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा पुनर्विवाह नही किया है।

(5) प्रार्थी को पति ने छोड़ दिया है। (तलाकनामा/शपथ पत्र की प्रति संलग्न है)

(6) प्रार्थी एकल नारी है। (शपथ पत्र संलग्न है)

(7) प्रार्थी कुष्ठ रोग से ग्रस्त है तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन है। वह किसी भी सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डो इत्यादि में कार्यरत नहीं है। (शपथ पत्र संलग्न है)

(8) प्रार्थी का सम्बंन्धित ग्राम सभा द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या...............दिनांक.............. ....क्रमांक.................. पर चयनित किया गया है।

(9) प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आय ....रूपए (अंको में)................. .... रूपए (शब्दों में) है।

(10) प्रार्थी की व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय ....रूपए (अंको म) .... रूपए (शब्दों में) है।

(11) प्रार्थी(जो अपंग तथा अव्यस्क है) के माता–पिता/अभिभावक की समस्त साधनों से वार्षिक आय ....रू0(अंको में)........................ रू0 (शब्दों में) है।

(12) क्रमांक (1),(2),(9),(10) तथा (11) के सम्बन्ध में मैंने जांच सम्बन्धित पंचायत/राजस्व विभाग से की है तथा इन तथ्यों सम्बन्धित प्रमाण पत्र अनुबन्ध "क" तथा "ख" पर संलग्न है ।

उपरोक्त तथ्यों की जांच मैंने स्वयं पंचायत रिकार्ड तथा हल्का पटवारी से की है। रिपोर्ट के दृष्टिगत प्रार्थी पैंशन/भत्ता के पात्र/अपात्र है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत/रद्द करने हेतु सिफारिश की जाती है ।

तहसील कल्याण अधिकारी।
(मोहर व तिथि सहित)

नोट:–जो लागू न हो उसे काट दिया जाए तथा वास्तविक तथ्य रिपोर्ट किए जाएं।

अनुबन्ध "क"

सम्बन्धित पंचायतों से जारी प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती.. सुपुत्र/सुपुत्री /पत्नी/वेवा.......................................गाव/शहर.........................डाक घर ....पिन..................तहसील.................जिला....................हिमाचल प्रदेश का /की स्थायी निवासी है। पंचायत रिकार्ड अनुसार श्री/श्रीमति..की आयु/जन्म तिथि ....है तथा उसके निम्नलिखित परिवार* के सदस्य हैं, जिनकी पचायत रिकार्ड अनुसार आयु/जम्म तिथि/व्यवसाय का विवरण उनके नाम के सम्मुख है :-

कमांक	परिवार के सदस्यों का नाम	आयु/जन्म तिथि	नाता	कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय

आगे प्रमाणित किया जाता है कि :-

2. श्री/श्रीमति .... गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार है जिसकी बी0पी0एल0 संख्या .... है ।
3. श्री/श्रीमति .... तथा उनके परिवार के अन्य कोई भी सदस्य किसी भी पैंशन/भत्ता के धारक नहीं है ।
4. श्रीमति .... के पति की मृत्यु दिनांक .... को हो चुकी है तथा उसके उपरान्त पुर्नविवाह नहीं किया है ।**

दिनांक............................ हस्ताक्षर पंचायत सचिव
मोहर सहित

*"परिवार" से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्टर में अलग भी दर्शाए गए हों, परिवार की परिधि में आएंगे ।

** जो लागू न हों उसे काट दिया जाए ।

अनुबन्ध "ख"

वार्षिक आय प्रमाण पत्र
(राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा)

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती.. सुपुत्र/सुपुत्री /पत्नी/वेवा..गाव/शहर.........................डाक घर ....पिन...............तहसील...............जिला....................हिमाचल प्रदेश का /की स्थायी निवासी है।

2. आगे प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति .... तथा परिवार * के सदस्यों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूति व उससे होने वाली आय उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई है :--

कमांक	प्रार्थी तथा परिवार के सदस्य का नाम	प्रार्थी से नाता	कुल भूमि	भूमि से वार्षिक आय	अन्य साधनों से वार्षिक आय

दिनांक...........................

हस्ताक्षर हल्का पटवारी
मोहर सहित

*"परिवार" से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्ट्र में अलग भी दर्शाए गए हों, परिवार की परिधि में आएंगे ।

तहसीलदार

मोहर सहित

(60)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एव्. अधिकारिता–बी

संख्याःएस.जे.ई.बी–सी (1)2/2010 दिनांक शिमला–171002, 26 अप्रैल, 2012.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सम संख्या दिनांक 29 जून, 2010 जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 जारी किए गए थे, नियम 4(4) के नीचे निम्न नई कलाज 4(5) जोड़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

नियम 4(5): ऐसे वृद्व व्यक्ति पैन्शन हेतु पात्र होंगे जो प्रदेश सरकार द्वारा aided किसी भी वृद्वाश्रम में रह रहे हों ।

आदेश द्वारा

एस0के0 दाश
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स0न0अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ0 सं0 यथोपरि दिनांक शिमला – 171002 26 अपैल,2012.
प्रतिलिपिः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
2. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
3. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
4. वितायुक्त एवं सचिव(राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
5. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002.
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/बरिष्ठ उप महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश शिमला–171003.
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को उनके पत्र संख्या 20–21/96–वेल–पैंशन दिनांक 15 फरवरी, 2012 के संदर्भ में 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. निजी सचिव, समस्त मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला – 171002.
10. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को मन्त्री मण्डल की **मद संख्या 2** दिनांक 18.4.2012 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को राजपत्र(आसाधारण) में प्रकाशन हेतु।
12. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियॉ 25.

उप सचिव (सा0 न्याय एवं अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता–बी

संख्याःएस.जे.ई.बी–सी (1)2/2010 दिनांक शिमला–171002, 31 मई, 2012.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 4(2) तथा नियम 7 में निम्न संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

4(2) अपंग राहत भत्ता :– **(क)(i)**ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 40 से 69 प्रतिशत प्रमाणित की गई हों तथा जिनके कोई भी बच्चे व्यस्क न हों तथा जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 9000/– रु0 से अधिक न हो ।

अथवा

ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 40 से 69 प्रतिशत प्रमाणित की गई हो तथा जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 15000/– रु0 से अधिक न हो ।

(ii)ऐसे अपंग अव्यसक बच्चे जिनकी विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 40 से 69 प्रतिशत प्रमाणित की गई हो व जिनके माता–पिता/अभिभावक (यदि माता पिता जीवित नहीं है) की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 15000/– रु0 से अधिक न हो ।

(ख)ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 70 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हों तथा जो सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डों इत्यादि में कार्यरत न हों व अन्य किसी भी प्रकार की पैंशन प्राप्त न कर रहे हो बिना किसी आयु तथा आय सीमा की शर्त के अपंग राहत भत्ता के पात्र होंगें ।

(ग)मानसिक रुप से अविकसित या पागल बच्चों/व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता उनके माता–पिता/अभिभावकों के माध्यम से दिया जाएगा ।

7. <u>पैंशन / भत्ता की दरः</u> "वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता तथा कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता 01–04–2012 से रु0 400/– प्रति माह की दर से देय होगा या जो राशि समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

तथा

80 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्व पैंशनरों को 01–04–2012 से 600/– रु0 प्रतिमाह की दर से पैंशन देय होगी या जो राशि समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

आदेश द्वारा

एस0के0 दाश
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स0न्0अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ0 सं0 यथोपरि दिनांक शिमला – 171002 31 मई, 2012.

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
2. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
3. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
4. वितायुक्त एवं सचिव(राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
5. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002.
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/बरिष्ठ उप महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश शिमला–171003.
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को उनके पत्र संख्या 20–21/96–वेल–पैंशन (नियम)–IV दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के संदर्भ में 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. निजी सचिव, समस्त मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला – 171002.
10. सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को मन्त्री मण्डल की मद संख्या ... दिनांक 28.05.2012 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
12. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियॉ 25.

उप सचिव (स0न0अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या एस0जे0ई0–बी–सी(1)–2/2010–पैंशन
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (बी)

प्रेषक

प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

निदेशक,
अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा बर्ग व अल्प संख्यक मामले,
हिमाचल प्रदेश, शिमला – 171009.

दिनांक शिमला–171002 30 अगस्त, 2012.

विषयः– माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा 15 अगस्त, 2012 को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर कुल्लु में सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दरो में की गई घोषणा के अनुरुप सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम 2010 के नियम–7 में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 4–3(4)/2012– एस0ओ0एम0 (वैल) पैंशन नियम–1 दिनांक 21 अगस्त, 2012 के संदर्भ में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पैंशन नियम 2010 तथा इसमें समय–2 पर किए गए संशोधनो के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 01–09–2012 से 400/–रु0 से बढ़ाकर 450/–रु0 तथा 80 वर्ष से ऊपर आयु वालों को 600/–रु0 के बजाए 800/– प्रतिमाह स्वीकृत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहँमति से जारी की गई है इसलिए आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्वीकृति के अनुरुप शीघ्र आगामी कार्यवाही की जाए तथा पैंशन में वृद्वि के फलस्वरुप जिस–2 लेखा शीर्ष में जितनी–2 राशि की आवश्यकता है एकमुश्त प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए ताकि इसे पुनः वित्त विभाग को वांच्छित राशि उपलब्ध करवाए जाने बारे अनुरोध किया जा सके ।

भवदीय

Ucrar

उप सचिव (सा0न्याय एवं अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ0 सं0 यथोपरि दिनांक शिमला–2 30 अगस्त, 2012.

प्रतिलिपि:–

1. सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश,शिमला–2.
2. संयुक्त सचिव (वित्त–विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को उनकी दैनिकी संख्या वित्त (सी)–ए(3)–6/98–पार्ट दिनांक 21–8–12 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. संयुक्त सचिव (बजट) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

उप सचिव (सा0न्याय एवं अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(63)

संख्या स0न्0अ0–बी–सी(1).2/2013–सा0सु0पैं0
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (बी)

1659
13-2-2013

प्रेषक

प्रधान सचिव (स0न्0अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

निदेशक,
अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यक मामले,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

13.2.2013
DD/DW

दिनांक शिमला–171002, 11 फरवरी,2013.

13/2/2013

विषय:– माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा 25 जनवरी,2013 को 43वें पूर्णराज्यत्व दिवस के अवसर पर सुन्नी जिला शिमला में सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दरों में की गई घोषणा के अनुरुप सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम–7 में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव ।

13/2

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 4–3(4)/2012–एस0ओ0एम0(वैल) पैंशन नियम –1 दिनांक 28 जनवरी, 2013 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे सामाजिक सुरक्षा पैंशन को दिनांक **01–04–2013 से रु0 450/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 500/– प्रतिमाह** करने के लिए सरकार की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करने का निदेश हुआ है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तुरन्त आगामी कार्यवाही की जाए । जहाँ तक उपरोक्त राशि को बढ़ाए जाने के फलस्वरुप सामाजिक सुरक्षा नियमों के नियम 7 में संशोधन का सम्बन्ध है इस बारे में पहले ही इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस.जे.ई.–बी–सी(1)2/2010 दिनांक 31 मई, 2012 में प्रावधान है कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दर वह देय होगी जिसे सरकार समय–2 पर निर्धारित करेगी, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पैंशन में संशोधन आवश्यक नहीं है ।

भवदीय,

उप सचिव (स0न्0अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(69)

संख्याःएस.जे.ई–वी–सी (1)2/2013– लूज
हिमाचल प्रदेश सरकार
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग(बी)

SC, OBCs & MINORITY AFFAIRS 5120 14-5-2013

प्रेषकः प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित
निदेशक,
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक मामले,
हिमाचल प्रदेश ,शिमला–09.

दिनांक शिमला.2, 8 मई, 2013.

विषयः माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट अभिभाषण में सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत 80 वर्ष से ऊपर की आयु के पैंशनरों को 1–4–2013 से पैंशन की राशि मु0 800/– रू0 प्रतिमाह से बढ़ाकर मु0 1000/–रू0 प्रतिमाह करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र संख्याः 4–3 (4)/2012–एस0 ओ0 एम0 (वैल) पैंशन नियम–1 दिनांक 19–03–2013 की ओर आकर्षित करते हुए सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत 80 वर्ष से ऊपर की आयु के पैंशनरों को 1–4–2013 से पैंशन की राशि मु0 800/– रू0 प्रतिमाह से बढ़ाकर मु0 1000/–रू0 प्रतिमाह करने तथा 20–3–2013 तक नए चयनित पात्र 10369 अभ्यार्थियों को 1–4–2013 से सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान किए जाने के लिए सरकार की स्वीकृति/ अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश हुआ है।

2. इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति उनकी दैं0 सं0 Fin©-A(3)-6/98-Pt दिनांक 7.05.2013 द्वारा प्राप्त कर ली गई है और योजना विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति उनके UO No. PLG(PI)1-36/92-VI-Adv.-5/13 दिनांक 7.05.2013 द्वारा निम्न अनुमोदन सहित प्रदान की है :–

> "Planning Department conveys its "in principle" commitment for provision of additional funds, as and when required. Department is requested to utilize the budget provisions already available for 2013-14, as the first charge, to honour the announcement of the Hon'ble CM. After exhausting these provisions, the Department may sent a proposal for provision of additional funds."

3. अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तुरन्त आगामी आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

विशेष सचिव (स0न0अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ0 संख्या यथोपरि दिनांक शिमला – 2 8 **मई, 2013.**
विशेष सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2 को सूचनार्थ ।

विशेष सचिव (स0न0अ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

13.5.2013
13/5/13
Sl. Inder

(65) 1

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment (B)

No. SJE-B-C(1)2/2013-SSP Dated Shimla-171002,the 5th March, 2014

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Rule No.7 of Social Security Pension Rules, 2010 notified by this department's notification No. SJE-B-C(1)2/2010 dated 29-6-2010 :-

The rate of Social Security Pension being provided to the Old persons, Widows, Descrted Women, Disabled/Handicapped persons and Lepers will be ₹ 550/- (w.e.f. 1-4-2014) per month in place of ₹ 500/- per month.

The rate of Social Security Pension for disabled/Handicapped persons with disability 70% or more will be ₹ 750/- (w.e.f. 1-4-2014) per month in place of ₹ 500/- per month.

All the persons above than 80 years of age, except who are drawing any other pension will be given pension at the rate of ₹ 1000/- (w.e.f. 1-4-2014) per month irrespective of any income limit.

Besides, the above the Government has also approved the 12000 pending applications in respect of Social Security Pension w.e.f. 1-4-2014.

By order

Additional Chief Secretary (SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. as above Dated Shimla-171002,the 5th, March,2014
Copy to :-

1. The Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. All the Additional Chief Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
3. All the Pr. Secretaries/Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.

--2/--

4. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla-2.
5. The Special Secretary-cum-Pr. Private Secretary to the Hon'ble Chief Minster, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
6. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
7. The Principal Accountant General(A&E)/Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, Shimla – 171003.
8. All the Divisional Commissioners/HODs/DCs in Himachal Pradesh.
9. The Director, SCs, OBCs and Minority Affairs, HP, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171009
10. The Controller, Printing & Stationery Press, HP Govt. Printing Press, Shimla-5
11. All Private Secretaries of the Ministers/CPS in H.P. Sectt. Shimla-2.
12. The Controller, Printing and Stationary, H.P. Government Printing Press Shimla-5 for publication in the Gazette as the same has been uploaded on e-Gazette.
13. Guard file/Spare copies (25).

(Urmil Krar)
Deputy Secretary (SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.
Ph.No.0177-2622059

66

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment (B)

No. SJE-B-C(1)2/2013-SSP Dated Shimla-171002,the 7th April, 2014

10.4.2014
AD/DO(W)

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the amendment in Rule 4 (1), (2) & (3) of Social Security Pension Rules, 2010 notified by this Department vide Notification No. SJE-B-C(1)2/2010 dated 29th June, 2010 vide which the figures "₹ 9000/-" & "₹ 15000/-" are herewith substituted with "₹ 35000/-" per annum (excluding the income of MNREGA) for availing the benefits of Welfare Schemes.

By order

Dr.P.C.Kapoor
Additional Chief Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No. as above Dated Shimla-171002, the 7th April, 2014

Copy:-

1. The Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. All the Additional Chief Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
3. All the Pr. Secretaries/Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
4. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla-2.
5. The Special Secretary-cum-Pr. Private Secretary to the Hon'ble Chief Minster, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
6. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
7. The Principal Accountant General (A&E)/Accountant General (Audit), H.P, Shimla – 171003.
8. All the Divisional Commissioners/HODs/DCs in Himachal Pradesh.
9. The Director, SCs, OBCs and Minority Affairs, HP, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171009
10. The Director, Women and Child Development Department, Cedar Home Brent Wood Estate, Bemloe, Shimla.
11. The Controller, Printing & Stationery Press, HP Govt. Printing Press, Shimla-5
12. All Private Secretaries of the Ministers/CPS in H.P. Sectt. Shimla-2.
13. The Controller, Printing and Stationary, H.P. Government Printing Press Shimla-5 for publication in the Gazette.
14. Guard file/Spare copies (25).

(Dr.M.P.Sood)
Special Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

(67)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment (B)

*****

No. SJE-B-C(1)2/2013-SSP Dated Shimla-171002,the 7-5-2015

NOTIFICATION

In supersession of this Department Notification of even number dated 5th. March, 2014 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Rule No.7 of Social Security Pension Rules, 2010 notified by this department's notification No. SJE-B-C(1)2/2010 dated 29-6-2010:-

The rate of Social Security Pension being provided to the Old persons and Widows will be ₹ 600/-(w.e.f. 1-4-2015) per month in place of place of ₹ 550/- per month.

The rate of Social Security Pension for disabled/ Handicapped persons with disability 70% or more will be ₹ 1,100/- (w.e.f. 1-4-2015) per month in place of ₹ 750/- per month.

All the persons above 80 years, not drawing any other pension, will be given pension at the rate of ₹1,100/- (w.e.f.1-4-2015) per month in place of ₹1000/-per month.

Besides, the above the Government has also approved that all pending Pension cases numbering 35,000 will be decided and Pension will be sanctioned in favour of eligible applicants with effect from 1st. April, 2015.

By order

Principal Secretary (SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. as above Dated Shimla-171002,the 7-5- 2015
Copy to :-
1.-The Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2.-All the Additional Chief Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
3.-All the Pr. Secretaries/Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
4.-The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla-2.

5.-The Special Secretary-cum-Pr. Private Secretary to the Hon'ble Chief Minster, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
6.-The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
7.-The Principal Accountant General(A&E)/Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, Shimla – 171003.
8.-All the Divisional Commissioners/HODs/DCs in Himachal Pradesh.
9.-The Director, SCs, OBCs and Minority Affairs, HP, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171009
10-All the District Welfare Officer in Himachal Pradesh.
11.-All Private Secretaries of the Ministers/CPS in H.P. Sectt. Shimla-2.
12.-The Controller, Printing and Stationary, H.P. Government Printing Press Shimla-5 for publication in the Gazette as the same has been uploaded on e-Gazette.
13.Guard file.

Skatwal

Special Secretary (SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment (B)

*****

No. SJE-B-C(1)2/2013-SSP Dated Shimla-171002,the 29-5-2015

ADDENDUM

In continuation to this Department Notification of even number dated 7th.May, 2015 after the words "The rate of Social Security Pension being provided to the Old persons and Widows", the following shall be added:-

> Discreted Women, Disabled/Handicapped persons with disability from 40% to 69% and Lepers will be ₹ 600/- (w.e.f. 1-4-2015) per month in place of place of ₹ 550/- per month.

The remaining contents will remain the same.

By order

Additional Chief Secretary (SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. as above Dated Shimla-171002,the 29-5-2015

Copy to :-

1.-The Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2.-All the Additional Chief Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
3.-All the Pr. Secretaries/Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
4.-The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla-2.
5.-The Special Secretary-cum-Pr. Private Secretary to the Hon'ble Chief Minster, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
6.-The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
7.-The Principal Accountant General(A&E)/Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, Shimla - 171003.
8.-All the Divisional Commissioners/HODs/DCs in Himachal Pradesh.
9.-The Director, SCs, OBCs and Minority Affairs, HP, SDA Complex, Kasumpti, Shimla - 171009
10-All the District Welfare Officer in Himachal Pradesh.
11-All Private Secretaries of the Ministers/CPS in H.P. Sectt. Shimla-2.
12-The Controller, Printing and Stationary, H.P. Government Printing Press Shimla-5 for publication in the Gazette as the same has been uploaded on e-Gazette.
13-Guard file.

Under Secretary (SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग--बी

279

संख्याःएस0जे0ई0--बी0--सी0(1)--2/2013 दिनांक शिमला--171002 1-1-2016 11-1-16

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या::एस0जे0ई0--बी0--सी0(1)--2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 4 तथा नियम 5 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:--

1. सामाजिक सुरक्षा पैंशन आश्रमों/गृहों/सेवा सदनों में रह रहे उन निवासियों को भी प्रदान की जायेगी जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं:

   परन्तु यदि उक्त आश्रमों/गृहों/सेवा सदनों में रह रहे व्यक्ति इनमें रहना छोड़ देते हैं तो वे उक्त पैंशन के हकदार नहीं रहेंगें।

2. नियम 5 के अधीन बी0पी0एल0 परिवारों के साथ--साथ आश्रमों/गृहों/सेवा सदनों में रह रहे निवासियों को भी प्राथमिकता दी जायेगी।

3. सामाजिक सुरक्षा पैंशन राज्य सरकार द्वारा केवल मान्यता प्राप्त आश्रमों/गृहों/सेवा सदनों के चार प्रवर्गों अर्थात वृद्ध व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, विधवा/परित्यक्ता/बेसहारा/ एकल नारी और कुष्ठ रोगी को ही प्रदान की जाएगी। यह केवल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहेगी।

आदेश द्वारा,

(संजीव गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला--2 1-1- 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:--

1.मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला--171002
2.समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला--2
3.सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला--171002
4.प्रधानमहालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला--3
5.समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6.निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला--9
7.निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेंडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला--171001
8.विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला--2
9.संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला--2
10.वरिष्ठ/विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला--2
11.नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला--171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
12.समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(70)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment (B)

No: SJE-B-C(1)2/2013-SSP Dated Shimla-171002,the 20th May,2016

NOTIFICATION

In supersession of this Department Notification of even number dated 7th. May, 2015 and 29th. May, 2015 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Rule-7 of Social Security Pension Rules, 2010 notified by this department's notification No. SJE-B-C(1)2/2010 dated 29-6-2010:-

The rate of Social Security Pension being provided to the Old persons, Discreted Women, Widows and Disabled/ Handicapped persons with disability from 40% to 69% and Lepers will be ₹ 650/-(w.e.f. 1-4-2016) per month in place of place of ₹ 600/- per month.

The rate of Social Security Pension for disabled/ Handicapped persons with disability 70% or more will be ₹ 1200/- (w.e.f. 1-4-2016) per month in place of ₹ 1100/- per month.

All the persons above 80 years, not drawing any other pension, will be given pension at the rate of ₹1200/- (w.e.f. 1-4-2016) per month in place of ₹ 1100/-per month.

By order

Anuradha Thakur
Secretary (SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.

24/05

Endst. No. as above Dated Shimla-171002,the 20th May, 2016
Copy to :-

1.-The Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2.-All the Additional Chief Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
3.-All the Pr. Secretaries/ Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
4.-The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla-2.
5.-The Special Secretary-cum-Pr. Private Secretary to the Hon'ble Chief Minster, Himachal Pradesh, Shimla-171002.

Contd/---

6.-The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
7.-The Principal Accountant General (A&E)/Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, Shimla–171003.
8.-All the Divisional Commissioners/HODs/DCs in Himachal Pradesh.
9.-The Director, SCs, OBCs and Minority Affairs, HP, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171009
10-All the District Welfare Officer in Himachal Pradesh.
11.-All Private Secretaries of the Ministers/CPS in H.P. Sectt. Shimla-2.
12.-The Controller, Printing and Stationary, H.P. Government Printing Press Shimla-5 for publication in the Gazette as the same has been uploaded on e-Gazette.
13.Guard file.

Deputy Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

(71)

9655
5-XI-16

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं0:एस.जे.ई.-बी.-सी.(1)-2/2013-एस.एस.पी दिनांक शिमला-2 28 अक्तूबर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0 -बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियमें 3, 4, तथा नियम 8 में निम्नलिखित संशोधन करतें हैः-

नियम-3. परिभाषाएः

(12) "ट्राँसजैण्डर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जिनकी लैंगिक पहचान, लैंगिक आचरण/व्यवहार की अभिव्यक्ति जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित लिंग के अनुरूप न हो। ऐसे व्यक्ति विभिन्न नामों जैसेः हिजड़ा, ईयुन्छ, कोठी, अरवनिस, जोगपा, शिव-शक्ति, इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं।

नियम-4. पात्रताः

(5) ऐसे ट्राँसजैण्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्राँसजैण्डर पैंशन हेतु पात्र होंगें।

नियम-7. पैंशन की भत्ता/दरेंः

1-10-2016 से 650/- रूपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अंतर्गत " ट्राँसजैण्डर पैंशन" दी जाएगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के ट्राँसजैण्डर व 70% से अधिक विकलांगता वाले ट्राँसजैण्डर को अन्य पैंशन श्रेणियों की तरह 1200/- रूपये प्रतिमाह की दर से यह पैंशन दी जाएगी।

नियम-8. वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रियाः-

जारी/--

(च) ट्राँसजैण्डर के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान सम्बन्धी जारी प्रमाण-पत्र तथा स्वयं घोषित शपथ-पत्र।

आदेश द्वारा,

(अनुराधा ठाकुर)
सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला-2 28, अक्तूबर, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
8. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला-2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

72

193

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2013 दिनांक शिमला-2 17, अप्रैल, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम,2010 के नियम-4(2), 7 तथा नियम 8(2) व (3) में निम्नलिखित संशोधन करतें हैः-

नियम-4. पात्रताः

चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रतिशतता प्रमाण-पत्र चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के मूल्यांकन तथा प्रमाणित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बहु-विकलांगता (**multiple-disability**) का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा कुल विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो, अपंग राहत भत्ता स्वीकृति हेतु मान्य होगा।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तिओं को बिना किसी आय सीमा के पेंशन प्रदान की जाएगी

नियम-7. पैंशन की भत्ता/दरें:

(i) वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैंशनर) तथा कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता 1-4-2017 से ₹ 700/- प्रति माह की दर से देय होगा।

(ii) 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैंशनरों को 1-4-2017 से ₹ 1250/- प्रति माह की दर से बिना किसी आय सीमा की शर्त के पैंशन दी जाएगी।

(iii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैंशनरों को अपंग राहत भत्ता 1-4-2017 से ₹ 1250/- प्रति माह की दर से बिना किसी आय सीमा की शर्त के देय होगा।

जारी/--

नियम–8 (2) व (3): वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रियाः–

80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति अपने प्रार्थना–पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/दस्तावेज/ चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा वचनबद्धता (undertaking) की प्रति सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश द्वारा,

अनुराधा ठाकुर
प्रधान सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–2 7, अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला–3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला–9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला–171001
8. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला–2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला–171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

संo:एसoजेoईo–बीo–सीo(1)–2/2013 दिनांक शिमला–2 15, मई, 2017

परिशिष्ट (अडेन्डम)

इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एसoजेoईo–बीo–सीo(1) –2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम,2010 में संशोधन की बाबत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 2017 के नियम 7(i) में "तथा" शब्द से पूर्व, "ट्रॅांसजैण्डर", चिन्ह और शब्द जोड़े जाऐगें।

आदेश द्वारा,

अनुराधा ठाकुर
प्रधान सचिव (साoन्याoएवं अधिo)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–2 15, मई, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हिoप्रo, शिमला–3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हिo प्रo, कसुम्पटी, शिमला–9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला–171001
8. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हिoप्रo, शिमला–2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला–171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

छवि नान्टा
उप सचिव (साoन्याoएवं अधिo)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(75)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2013 दिनांक शिमला–2 02, जनवरी, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम,2010 के नियम–4 एवं अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2013 दिनांक 7 अप्रैल, 2017 के नियम 7 में निम्नलिखित संशोधन करतें हैंः–

नियम–4. पात्रताः

वर्तमान में 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को बिना आय की सीमा के जो पैंशन प्रदान की जा रही है उसकी आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की गई है।

आदेश द्वारा,

आर0डी0धीमान
प्रधान सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–2 02, जनवरी, 2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला–3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला–9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट वुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला–171001
8. उप सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला–2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला–171005 ।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

76

हिमाचल प्रदेश सरकार।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस0 जे0 ई0--बी0--सी0 (1)--2/2013 दिनांक शिमला--171002 27, अप्रैल, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0 जे0 ई0--बी0--सी0 (1)--2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा संशोधित सामाजिक सुरक्षा पैंशन नियम 1997 के अनुसरण में उक्त संशोधन के उपबन्ध (7) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत पैंशन की दरों में निम्न लिखित प्रावधान करने के सहर्ष आदेश देते है :--

उपबन्ध संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7	**पैंशन/भत्ता की दरें:**	
	(i) वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैंशनर) कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रॉसजैण्डर को पैंशन 01--4--2017 से 700/-- रूपये प्रति माह की दर से देय होगा या जो राशि समय--समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	**i)** वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैंशनर) कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रॉसजैण्डर को पैंशन 01--4--2018 से 750/-- रूपये प्रति माह की दर से देय होगा या जो राशि समय--समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(ii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैंशनरों, ट्रॉसजैण्डर को अपंग राहत भत्ता/पैंशन 01--4--2017 से 1250/-- रूपये प्रति माह की दर से देय होगा या जो राशि समय--समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	**(ii)** 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैंशनरों, ट्रॉसजैण्डर को अपंग राहत भत्ता/पैंशन 01--4--2018 से 1300/-- रूपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय--समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(iii) 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैंशनरों, ट्रॉसजैण्डर को 01--4--2017 से 1250/-- रूपये प्रति माह की दर से पैंशन देय होगी या जो राशि समय--समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	**(iii)** 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैंशनरों, ट्रॉसजैण्डर को 01--4--2018 से 1300/-- रूपये प्रति माह की दर से पैंशन देय होगी या जो राशि समय--समय पर सरकारद्वारा निर्धारित की जाएगी।

आदेश द्वारा

(निशा सिंह)
अतिरिक्त मुख्या सचिव (सा0 न्या0 अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

जारी/----

पृष्ठांकन स0 – उपरोक्त   दिनांक 27 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002।
2. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमलां–171002।
3. समस्त प्रधान सचिव / सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमलां–171002।
4. वितायुक्त एवं सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमलां–171002।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) / वरिष्ठ उप महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला –03।
6. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009।
10. निजी सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला–171009।।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–171005
12. गार्ड फाईल।

27/4/2018

विशेष सचिव (सा0 न्याय अधि0)
हिमाचल प्रदेश शिमला–2

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

संख्याःएस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2013 दिनांक शिमला-171002 13, जून, 2019.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा संशोधित सामाजिक सुरक्षा पैंशन नियम 1997 के अनुसरण में उक्त संशोधन के उपबन्ध (7) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत पैंशन की दरों में निम्नलिखित प्रावधान करने के सहर्ष आदेश देते हैः-

उपबन्ध संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7	पैंशन/भत्ता की दरें	
	(i) वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैंशनर), कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रॉसजैण्डर को पैंशन 01-04-2018 से ₹ 750/- रूपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(i) वृद्धावस्था/विधवा/ परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैंशनर), कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रॉसजैण्डर को पैंशन 01-07-2019 से ₹ 850/-रूपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(ii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैंशनरों, ट्रॉसजैण्डर को अंपग राहत भत्ता/पैंशन 01-04-2018 से ₹ 1300/- रूपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(ii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैंशनरों, ट्रॉसजैण्डर को अंपग राहत भत्ता/पैंशन 01-07-2019 से ₹ 1500/-रूपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(iii) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैंशनरों, ट्रॉसजैण्डर को 01-04-2018 से ₹ 1300/- रूपये प्रति माह की दर से पैंशन देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(iii) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैंशनरों, ट्रॉसजेण्डर को 01-07-2019 से ₹ 1500/- रूपये प्रति माह की दर से पैंशन देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आदेश द्वारा,

(निशा सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला-2 13, जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1.मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2.समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3.सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4.प्रधानमहालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5.समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6.निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला-9
7.निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेवार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
8.संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9.नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005
10.समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

13/6/2019

विशेष सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0-बी0-एफ0(9)-4/2018 दिनांक शिमला-2 26 मार्च, 2020.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम,2010 के नियम-7 एवं अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2013 दिनांक 13 जून, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम-7.पैंशन/भत्ता की दरें:-

विधवाओं व दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन जो वर्तमान में मु0 850 रूपये प्रतिमाह है दिनांक 01-04-2020 से मु0 1000 रूपये प्रतिमाह होगी।

आदेश द्वारा,

(निशा सिंह)
अति0मुख्य0सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः उपरि दिनांक शिमला-2 26 मार्च, 2020.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव मुख्यमन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2
4. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
6. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
7. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला-9
8. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट वुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(81)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 17 मई, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम-3, नियम-4 तथा नियम-6 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम-3. परिभाषाएंः

(13) **"स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना"** से तात्पर्य वृद्धावस्था पैंशन योजना के अंतर्गत 65 (पैंसठ) वर्ष से 69 (उनहत्तर) वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को दी जाने वाली पैंशन।

नियम-4. पात्रताः

वृद्धावस्था पैंशन योजना के अंतर्गत 65 (पैंसठ) वर्ष से 69 (उनहत्तर) वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना किसी आय सीमा की शर्त के 1000/- रूपये प्रति माह की दर से अथवा समय-समय पर जो सरकार द्वारा पैंशन दरें निर्धारित की जाएंगी के अनुसार **स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना** की सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जाएगी।

नियम-6. अपात्रताः

उप नियम (5):
(5) सरकारी सेवा की पैंशन ले रहे वृद्ध दम्पति अथवा आयकरदाता वृद्ध दम्पति बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। वृद्धावस्था पैंशन का लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनमें दम्पति में से किसी को सरकारी सेवा की पैंशन न मिल रही हों अथवा दम्पति में से कोई आयकरदाता न हो ताकि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ ज़रूरतमंदो को मिल सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः :एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 17 मई, 2021.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिमलैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment-B

No. SJE-B-F(1)-1/2022 Shimla-2 Dated: 08th February, 2022

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the amendment in Rule-4(1), (2) & (3) of Social Security Pension Rules, 2010 notified by this Department vide Notification No. SJE-B-C(1)-2/2013-SSP dated 07-04-2014 vide which the figures Rs. 35,000/- is herewith substituted with Rs. 50,000/- (Fifty Thousand only) per annum (excluding the income of MNREGA) for availing the benefit of Welfare Schemes.

By Order,

Additional Chief Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst No. SJE-B-F(1)-1/2022 Shimla-171002 Dated: 08th February, 2022

Copy is forwarded for information and necessary action to:-

1. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. All the Administrative Secretaries, HP, Shimla-2.
3. The Principal Secretary to Chief Minister, HP, Shimla-2,
4. The Secretary to Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
5. The Secretary (GAD) to the Government of HP w.r.t. item No. 17 discussed in the meeting of the CMM held on 02-02-2022.
6. All the Divisional Commissioners/DCs/HoDs in Himachal Pradesh.
7. The Director, SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, SDA Complex Kasumpti, Shimla-09.
8. The Director, Women & Child Development Department, Cedar Home Brent Wood Estate, Bemole, H.P. Shimla.
9. The Controller, Printing and Stationery, H.P. Shimla-5 with the request to publish the same in the official Gazette of the State of HP.
10. The Private Secretary to all the Ministers H.P. Shimla-2.
11. All the District Welfare Officers in Himachal Pradesh.
12. Guard File/ Spare copies.

(T.R. Parmar)
Deputy Secretary (SJ&E) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
PH. No.0177-2628480/2880576

84

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0–बी0–एफ0(4)–3/2019 दिनांक शिमला–2 8 अप्रैल , 2022.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम–4(1), नियम–7 तथा नियम 8(2) व (3) में निम्नलिखित संशोधन करतें हैं:–

नियम 4. **पात्रताः (1) वृद्धावस्था पैंशनः–**

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जायेगी।

नियम 7. **पैंशन / भत्ता की दरें:–**

(I) 60–69 आयु वर्ग के पुरूषों और 60–64 आयु वर्ग की महिलाओं को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1000/–रू0 प्रति माह देय होगी।

(II) 65–69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1150/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

(III) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1700/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

(IV) विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता (40–69 प्रतिशत दिव्यांगता), को दिनांक 01.04.2022 से पैंशन/भत्ता, 1150/–रू0 प्रति माह देय होगा।

(V) 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 1700/–रू0 प्रति माह देय होगा।

8/4/22

(VI) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैण्डर पैंशनरों को दिनांक 01.04.2022 से भत्ता/ पैंशन 1000/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

Cont..../2

नियम 8. (2) व (3): <u>वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, ट्रांसजैण्डर पैंशन प्राप्त करने की प्रक्रियाः-</u>

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजैन्डर (अर्थात ऐसे सभी वर्ग जिन के लिये कोई आय सीमा की शर्त नहीं है), अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्धता (undertaking) की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।

पृष्ठांकन संख्याः :एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 8 अप्रैल 2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिमलैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

8/4/22
उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

86

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0–बी0–एफ0(4)–3/2019 दिनांक शिमला-2 1 अप्रैल, 2022.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम-4(1), नियम-7 तथा नियम 8(2) व (3) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम 4. पात्रताः (1) वृद्धावस्था पैंशनः-

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जायेगी।

नियम 7. पैंशन / भत्ता की दरें:-

(i) 60-69 आयु वर्ग के पुरुषों और 60-64 आयु वर्ग की महिलाओं को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1000/-रू0 प्रति माह देय होगी।

(ii) 65-69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1150/-रू0 प्रति माह देय होगी ।

(iii) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1700/-रू0 प्रति माह देय होगी ।

(iv) विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता (40-69 प्रतिशत दिव्यांगता), को दिनांक 01.04.2022 से पैंशन/भत्ता, 1150/-रू0 प्रति माह देय होगा।

(v) 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 1700/-रू0 प्रति माह देय होगा।

(vi) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैण्डर पैंशनरों को दिनांक 01.04.2022 से भत्ता/ पैंशन 1000/-रू0 प्रति माह देय होगी ।

4/4/22

Cont..../2

नियम 8. (2) व (3): वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, ट्रांसजैन्डर पैंशन प्राप्त करने की प्रक्रियाः-

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजैन्डर (अर्थात ऐसे सभी वर्ग जिन के लिये कोई आय सीमा की शर्त नहीं है), अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्वता (undertaking) की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।

पृष्ठांकन संख्याः :एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 8 अप्रैल 2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिमलैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

8/4/22

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment-B

No. SJE-B-F(1)-1/2022 Shimla-2 Dated: 08th February, 2022

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the amendment in Rule-4(1), (2) & (3) of Social Security Pension Rules, 2010 notified by this Department vide Notification No. SJE-B-C(1)-2/2013-SSP dated 07-04-2014 vide which the figures Rs. 35,000/- is herewith substituted with Rs. 50,000/- (Fifty Thousand only) per annum (excluding the income of MNREGA) for availing the benefit of Welfare Schemes.

By Order,

Additional Chief Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst No. SJE-B-F(1)-1/2022 Shimla-171002 Dated: 08th February, 2022

Copy is forwarded for information and necessary action to:-

1. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. All the Administrative Secretaries, HP, Shimla-2.
3. The Principal Secretary to Chief Minister, HP, Shimla-2,
4. The Secretary to Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
5. The Secretary (GAD) to the Government of HP w.r.t. item No. 17 discussed in the meeting of the CMM held on 02-02-2022.
6. All the Divisional Commissioners/DCs/HoDs in Himachal Pradesh.
7. The Director, SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, SDA Complex Kasumpti, Shimla-09.
8. The Director, Women & Child Development Department, Cedar Home Brent Wood Estate, Bemole, H.P. Shimla.
9. The Controller, Printing and Stationery, H.P. Shimla-5 with the request to publish the same in the official Gazette of the State of HP.
10. The Private Secretary to all the Ministers H.P. Shimla-2.
11. All the District Welfare Officers in Himachal Pradesh.
12. Guard File/ Spare copies.

(T.R. Parmar)
Deputy Secretary (SJ&E) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
PH. No.0177-2628480/2880576

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0–बी0–एफ0(4)–3/2019 दिनांक शिमला–2 8 अप्रैल, 2022.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम–4(1), नियम–7 तथा नियम 8(2) व (3) में निम्नलिखित संशोधन करतें हैः–

नियम 4. पात्रताः (1) वृद्धावस्था पैंशनः–

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जायेगी।

नियम 7. पैंशन / भत्ता की दरें:–

(I) 60–69 आयु वर्ग के पुरूषों और 60–64 आयु वर्ग की महिलाओं को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1000/–रू0 प्रति माह देय होगी।

(II) 65–69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1150/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

(III) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1700/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

(IV) विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता (40–69 प्रतिशत दिव्यांगता), को दिनांक 01.04.2022 से पैंशन/भत्ता, 1150/–रू0 प्रति माह देय होगा।

(V) 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 1700/–रू0 प्रति माह देय होगा।

(VI) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैण्डर पैंशनरों को दिनांक 01.04.2022 से भत्ता/ पैंशन 1000/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

Cont..../2

नियम 8. (2) व (3): <u>**वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, ट्रांसजैन्डर पैंशन प्राप्त करने की प्रक्रियाः-**</u>

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजैन्डर (अर्थात ऐसे सभी वर्ग जिनके लिये कोई आय सीमा की शर्त नहीं है), अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्वता (undertaking) की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।

पृष्ठांकन संख्याः :एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 8 अप्रैल 2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट वुड ऐस्टेट, हिमलैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

8/4/22
उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

72

91

11.5.2022

Director
Addl. Director
Joint Director (Welfare)
JD/DD (SCSP)
JD/DD (ESOMSA)
RO/DWO (D)
Supdt. G-I
AC (F&A)
DWO (HQ)
SO (F&A)
Law Officer

No. SJE-B-F(10)-1/2016
Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment -B

From

Addl. Chief Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2

To

The Director,
Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. SDA Complex, Kasumpti, Shimla-09.

SCs, OBCs & Minority and the Specially Abled ★ Himachal Pradesh Shimla-9 ★ 489199 Date 12/5/22

Shimla-02, the Dated: 10th May, 2022

Subject :- Regarding Social Security Pension notification.

Sh. Rajender

Sir

12/5/22

I am directed to refer to this Department Notification of even Number dated 08-04-2022, wherein a " Permanent Resident" of Himachal Pradesh is entitled for Old Age Pension Scheme.

Since, there is no proper definition of "Permanent Resident", it is clarified that a certificate of Bonafide Himachali as laid down vide Department of Personnel letter No. Per(AP-B)A(3)-1/2000-Vol-II dated 01-08-2009 (copy enclosed) shall suffice for the purpose of Old Age Pension Scheme.

It is, therefore, requested to take necessary action in the matter accordingly.

Yours faithfully,

(Rajesh Sharma)
Joint Secretary (SJ&E) to the
Government of HP, Shimla-2

Encl: As above.

92 (254)

No.Per(AP-B)A(3)-1/2000-Vol-II
Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-II)

From

Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All Heads of Departments in Himachal Pradesh.
3. All Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
4. All Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

Dated: Shimla-171002, the 1st August, 2009.

Subject: Certificate of Bonafide Himachali- instructions thereof.

Sir,

In supersession of this department letters of even number dated 11-11-2004 and 3.7.2009 on the subject cited above I am directed to say that on re-consideration of the matter it has now been decided by the Government that henceforth the certificate of Bonafide Himachali shall be issued by the authorities already specified i.e. Sub-Divisional Officer(Civil)/Tehsildar/Naib-Tehsildar on the basis of certificate issued by the respective Pradhan of Gram Panchayat/Patwari/President of the Municipal Committee and Notified Area Committee/Executive Officer/Councillors of the Municipal Corporation to the effect that the person concerned is :-

i) Having his permanent home in H.P. or
ii) Residing in H.P. for a period of 20 years or above; or
iii) Having his permanent home in H.P. but living outside H.P. on account of his occupations.

2. All other conditions for the grant of Bonafide Himachali Certificate shall remain unchanged.

3. These instructions may kindly be brought to the notice of all concerned working under you for strict compliance.

Yours faithfully,

Hardev Singh

Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.